

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक:-3/ कृ० बजट विविध -02/2018 2917 कृ० पटना दिनांक:- 03-09-2019

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार,
संयुक्त निदेशक (पौ०सं०) मु०,
-सह-बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

निदेशक, बामेति/सभी योजनाओं के नोडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/अवर सचिव, राज्य किसान आयोग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक (आत्मा)/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/सभी सहायक निदेशक (उद्यान)।

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 तक का लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेशों द्वारा सहायक अनुदान मद में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय के पश्चात् राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का दायित्व आपका है। इस संबंध में पूर्व में कई बार विभागीय पत्रों के माध्यम से निदेश दिये जा चुके हैं। इसके बावजूद कई क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र में त्रुटियाँ पाई गई हैं। त्रुटियों के कारण समायोजन की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है। आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न पत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित विवरणी का अंकन नहीं किया जाता है। आपके द्वारा पत्र में विवरणी निम्न प्रकार अंकित किया जाना आवश्यक है।

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राज्यादेश सं०/ तिथि आवंटनादेश सं०/ तिथि	विपत्र कोड	विपत्र सं० / तिथि	टि०भी० सं०/ तिथि	निकासी की गई राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि	प्रत्यर्पित की गई राशि	चालान द्वारा जमा राशि

उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है।

1. उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक अनुदान मद (Grant in aid) में आवंटित राशि का विहित प्रपत्र BTC Form 42A (प्रति संलग्न) में तैयार किया जाना है।
2. एक उपयोगिता प्रमाण पत्र में एक स्वीकृत्यादेश एवं एक विपत्रकोड अंतर्गत आवंटित राशि से संबंधित सूचनाओं का अंकन होना चाहिए।
3. उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संबंधित स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना चाहिए।
4. उपयोगिता प्रमाण पत्र में अंकित राशि से संबंधित CTMIS की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए ताकि Bill No/ TV No की जाँच की जा सके।
5. विहित प्रपत्र में चेक रिलप (प्रति संलग्न) तीन प्रति में भरा होना चाहिए तथा निर्धारित स्थान पर डी०डी०ओ० का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित होना चाहिए।
6. अंकेक्षण प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना चाहिए। जहाँ अंकेक्षण का मामला लंबित है, उनका तत्काल अंकेक्षण करा लिया जाय।

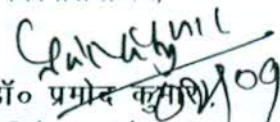
7. प्रत्यर्पित राशि की स्थिति में अभिप्रमाणित प्रत्यर्पण पत्र संलग्न होना चाहिए। चालान के मामले में या तो चालान की मूल प्रति संलग्न हो या चालान की छायाप्रति पर डी०डी०ओ० एवं कोषागार पदाधिकारी से अभिप्रमाणित होना चाहिए।

8. निकासी एवं तत्पश्चात् व्यय की गई राशि से संबंधित रोकड़ बही की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न होना चाहिए।

अतः अनुरोध है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC Form-42A में तैयार कर सभी अनुलग्नकों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। यदि आपके कार्यालय से उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजा जा चुका है तो अपने कार्यालय अधीनस्थ किसी कर्मी को भेजकर अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करवा ली जाय। कृपया त्रुटि की स्थिति में त्रुटि का निराकरण भी करवा लिया जाय। ताकि समायोजन हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,


(डॉ० प्रमोद कुमार) 09

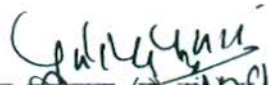
संयुक्त निदेशक (पौ०सं०) मु०.

—सह—बजट पदाधिकारी।

ज्ञापांक - 2917

/कृ०, पटना, दिनांक 03-03-2019

प्रतिलिपि :- कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

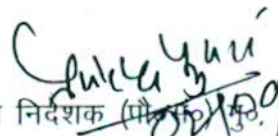

संयुक्त निदेशक (पौ०सं०) मु०.
—सह—बजट पदाधिकारी।

ज्ञापांक - 2917

/कृ०, पटना, दिनांक 03-03-2019

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी योजनाओं के राज्य नोडल पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने से संबंधित योजनाओं का लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र समायोजन कराने की कार्रवाई करेंगे।

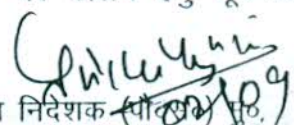
2. सहायक निदेशक (उद्यान) अपने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक उद्यान को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


संयुक्त निदेशक (पौ०सं०) मु०.
—सह—बजट पदाधिकारी।

ज्ञापांक - 2917

/कृ०, पटना, दिनांक 03-03-2019

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, कृषि के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक (शष्य) योजना कृषि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई—मेल करने एवं विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


संयुक्त निदेशक (पौ०सं०) मु०.
—सह—बजट पदाधिकारी।



वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2018-19 तक वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति।
(राशि करोड़ रु० में)

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	महालेखाकार के अनुसार लंबित राशि	अभ्युक्ति
1	2004-05	0.03	कृषि निदेशालय-0.03
2	2005-06	0.00	NIL
3	2006-07	0.00	NIL
4	2007-08	0.00	NIL
5	2008-09	0.00	NIL
6	2009-10	10.59	क्षेत्रीय कार्यालय (जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी) बीज ग्राम योजना-10.59
7	2010-11	0.00	NIL
8	2011-12	3.04	बामेति-0.34 कृषि उद्योग विकास निगम-0.29 क्षेत्रीय कार्यालय (जिला कृषि पदाधिकारी / अनुमंडल कृषि पदाधिकारी) बीज ग्राम योजना-2.41
9	2012-13	14.2	बामेति-5 बिहार राज्य बीज निगम-6.04 निदेशक उद्यान-3.16
10	2013-14	16.97	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर-4.00 बामेति-6.91 क्षेत्रीय कार्यालय (जिला कृषि पदाधिकारी/ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी) बीज ग्राम योजना-6.06
11	2014-15	171.05	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर-6.66 बामेति-88.36 निदेशक उद्यान-55.60 बिहार राज्य बीज निगम-14.7 राज्य किसान आयोग-1 क्षेत्रीय कार्यालय (जिला कृषि पदाधिकारी/ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी) बीज ग्राम योजना-4.73
12	2015-16	543.65	निदेशक उद्यान-95.91 सहायक निदेशक उद्यान-23.34 बिहार राज्य बीज निगम-1.96 कृषि निदेशक -78.32 राज्य किसान आयोग-1.11 (इन्टेनसीफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट) बामेति -58.20 जिला कृषि कार्यालय -277.59 निदेशक भूमि संरक्षण-8.33
13	2016-17	761.54	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर-211.46 निदेशक उद्यान-60.89 सहायक निदेशक उद्यान-81.85 निदेशक भूमि संरक्षण-32 बीज प्रमाणन एजेंसी-4.49 मुख्य लेखा पदाधिकारी-9.46 बामेति - 23.12 कृषि निदेशक + क्षेत्रीय कार्यालय (DAO)-338.27

वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2018-19 तक वर्षवार लंगित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति। (राशि करोड़ रु० में)			
क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	गहालेखाकार के अनुसार लंबित राशि	अभ्युक्ति
14	2017-18	868.82	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर-60.10 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर-45 सहायक निदेशक उद्यान-90.04 निदेशक भूमि संरक्षण-127.52 संयुक्त निदेशक (रसायन)-10.90 कृषि निदेशक -133.57 जिला कृषि कार्यालय -401.69
15	2018-19	300.6	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर-52.72 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर-43.76 सहायक निदेशक उद्यान-28.85 निदेशक भूमि संरक्षण-29.96 संयुक्त निदेशक (रसायन)-3.43 कृषि निदेशक -86.25 जिला कृषि कार्यालय -55.64
	Total	2690.50	